उपस्थित – राकेश कुमार सिंह।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।
ए.बी.ए. नं0 330/2026
रविन्दर यादव बनाम बिहार राज्य।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।

ए.बी.ए. नं0 330/2026

संग्रामपुर थाना कांड संख्या– 63/2025.

रविन्दर यादव बनाम बिहार राज्य

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री त्रिपुरारी कुमार।

विपक्षी की ओर से – श्री रामसेवक मंडल, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

22.04.2026 आवेदक **रविन्दर यादव** के तरफ से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया।

उभय पक्षों को सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 3 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध पूर्व से दो आपराधिक इतिहास 1. संग्रामपुर थाना कांड सं0 70/2025 एवं 2. संग्रामपुर थाना कांड सं0 130/2025 दर्ज है। आवेदक पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। आवेदक पर धारा 109 बीएनएस का आरोप नहीं बनता है। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक कैलाश यादव के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 08.04.2025 को समय 05:30 बजे सूचक भैंस चराकर अपने घर रायगढ़ आ रहा था, जैसे ही सूचक प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचा, उसी बीच धीरज यादव, राहुल कुमार, उदय यादव, कुंतेश कुमार, मुकेश कुमार, रविन्दर यादव (आवेदक), सुबोध यादव जो पहले से घात लगाए हुए थे, सूचक को देखकर गाली–गलौज करने लगे तथा सभी हथियार से लैश थे। कुंतेश कुमार यादव व उदय यादव तथा राहुल यादव ने कहा कि देखते क्या हो, गोली चलाओ और इसको जान से मार दो। इतने में उदय यादव ने सूचक पर गोली चला दिया, जिससे सूचक बच गया। उसी समय धीरज यादव ने दूसरा गोली चलाया, जो सूचक के कमर एवं छाती पर छर्रा लगा, जिससे सूचक घायल हो गया। सभी बोले कि अभी तो सिर्फ एक को मारा है, धीरे–धीरे सभी परिवार को जान मार देंगे। सूचक को उसके परिवार वाले संग्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र लाये जहां से उसे मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। सूचक के आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस तथा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

उपस्थित – राकेश कुमार सिंह।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।
ए.बी.ए. नं0 330/2026
रविन्दर यादव बनाम बिहार राज्य।

लगातार

22.04.2026. अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया गया है। अभिलेख पर सूचक के जख्म प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि जख्मी के जख्म को साधारण प्रकृति का बताया गया है। उक्त जख्म संवेदनशील अंग पर नहीं है। आवेदक पर सार्वभौमिक आरोप प्रतीत होता है। आवेदक पर मारपीट करने का सीधा आरोप नहीं लगाया गया है। वाद के सह अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा समान आधार पर जमानत प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक **रविन्दर यादव** के तरफ से **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा **आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर** आत्मसमर्पण करने या गिरफ्तार होने की स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर धारा 482(2) बीएनएसएस की शर्तों का पालन करने पर निम्न शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :

1. **आवेदक के दो जमानतदार ग्रामीण होंगे।**
2. **आवेदक आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित होंगे।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
22.04.2026.

प्रतिलिपि :– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतुर्थ, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति भेजी जाती है।

लेखापित

(राकेश कुमार मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
22.04.2026.